हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

कार्यसूची

तृतीय सत्र

बुधवार, 29 अगस्त, 2018/7 भाद्रपद,1940 (शक्)

11.00 बजे (पूर्वाह्न)

1. **प्रश्नोत्तर:**

   (1) **तारांकित:**

   (i) स्थगित
   (ii) दिन के लिए

   पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उनके उत्तर दिए जाएंगे ।

   (2) **अतारांकित:**

   दिन के लिए — पृथक सूची में मुद्रित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे ।

2. **कागज़ात सभा पटल पर रखे जाएंगे :**

श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री, निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे:-

(i) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 98(8) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पांचवे राज्य वित्तायोग का प्रतिवेदन, वर्ष 2018; और

(ii) हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर के नियम 16 के उप-नियम 12 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2017-18 ।

3. सदन की समितियों के प्रतिवेदन :

(1) **श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, लोक लेखा समिति, (वर्ष 2018-19),** समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगी तथा सदन के पटल पर रखेंगी :-

(i) समिति का **17वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 282वें मूल प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **सिंचाई एवं जन- स्वास्थ्य विभाग** से सम्बन्धित है;

(ii) समिति का **18वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 214वें मूल प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **सिंचाई एवं जन- स्वास्थ्य विभाग** से सम्बन्धित है; और

(iii) समिति का **19वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 171वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **पशुपालन विभाग** से सम्बन्धित है ।

(2) **श्री रमेश चन्द ध्वाला, सभापति, प्राक्कलन समिति, (वर्ष 2018-19),** समिति का **तृतीय कार्रवाई प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 24वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2016-17) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **शिक्षा विभाग** से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे ।

(3) **श्री नरेन्द्र बरागटा, सभापति, लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2018-19),** समिति का **नवम् मूल प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2012-13(आर्थिक क्षेत्र) के ऑडिट पैरा 2.1.1 से 2.1.12 की संवीक्षा पर आधारित तथा **हिमाचल प्रदेश ब्यास घाटी विद्युत निगम सीमित** से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

(4) **श्री सुख राम, सभापति, कल्याण समिति, (वर्ष 2018-19),** समिति का **26वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2016-17) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 34वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2016-17) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **जनजातीय विकास विभाग** से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे ।

(5) **श्री राकेश पठानिया, सभापति, जन-प्रशासन समिति, (वर्ष 2018-19),** समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे :-

(i) समिति का **पंचम् कार्रवाई प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 37वें मूल प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2011-12) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **सामान्य प्रशासन विभाग** से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति का **23वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 29वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2016-17) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **सहकारिता विभाग** से सम्बन्धित है ।

4. <u>नियम-130 के अन्तर्गत दिनांक 27 अगस्त, 2018 को प्रस्ताव पर हुई चर्चा का मुख्य मन्त्री उत्तर देंगे</u> :

"सरकार की पर्यटन नीति पर यह सदन विचार करे।"

5. <u>नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव:</u>

श्री राकेश सिंघा, "to call the attention of the Agriculture Minister to the situation arising out of thousands of farmers being cheated by Commission Agents in different apple markets of Narkanda, Parala (Theog) and Bhattakkuffar etc."

6. <u>विधेयक को वापिस लेने बारे प्रस्ताव :</u>

श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा में दिनांक 5 अप्रैल, 2016 को पारित **हिमाचल प्रदेश निक्षेपकों के हित का (वित्तीय स्थापनों में) संरक्षण संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 4)** को वापिस लिया जाये ।

7. विधायी कार्य :

सरकारी विधेयक की पुर:स्थापना

डॉ0 राम लाल मारकण्डा, कृषि मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश भूमि अन्तरण

हिमाचल प्रदेश भूमि अन्तरण (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 9)	(विनियमन) अधिनियम, 1968 (1969 का अधिनियम संख्यांक 15) का और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

वे विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

8. नियम-324 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख :

(1) **श्री इन्द्र सिंह (34-बल्ह),** संयुक्त कार्यालय भवन, नेरचौक हेतु भूमि हस्तांतरित कर जनहित में इसका निर्माण कार्य प्रारम्भ करवाने बारे विशेष उल्लेख करेंगे।

(2) **श्री मुकेश अग्निहोत्री (43-हरोली),** जिला ऊना के हरोली-रायपुर पुल पर लाईट लगाने के लम्बित कार्य को जनहित में शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण करने बारे विशेष उल्लेख करेंगे ।

(3) **श्री राम लाल ठाकुर (49-नैना देवी जी),** श्री नैना देवी जी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत अन्तिम गांव की खड्ड-समतैहण हेतु सड़क व पुल का निर्माण कार्य जनहित में शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण करने बारे विशेष उल्लेख करेंगे ।

(4) **श्री हीरा लाल (26-करसोग),** करसोग विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में भारी वर्षा से अवरूद्ध हुई सड़कों को जनहित में शीघ्रातिशीघ्र बहाल करने बारे विशेष उल्लेख करेंगे ।

(5) **श्री होशयार सिंह (10-देहरा),** प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु पर्यटन स्थलों को चिन्हित करने बारे विशेष उल्लेख करेंगे ।

(6) **श्री इन्द्र सिंह (34-बल्ह),** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र बल्ह के अन्तर्गत निर्माणाधीन खुड्डी-खेतरी-लेदा उठाऊ पेयजल योजना का कार्य शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण करने बारे विशेष उल्लेख करेंगे।

(7) **श्री राम लाल ठाकुर (49-नैना देवी जी),** श्री नैना देवी जी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत निर्मित पेयजल योजनाओं के सुधार तथा शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने बारे विशेष उल्लेख करेंगे ।

(8) **श्री मुलख राज (20-बैजनाथ),** बैजनाथ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत बास्केट बॉल स्पोर्टस हॉस्टल, पपरोला के निर्मित भवन की मरम्मत तथा क्रीड़ा हेतु आए खिलाड़ियों के रहन-सहन व खान-पान पर व्यय हुई धनराशि बारे विशेष उल्लेख करेंगे ।

(9) **श्री इन्द्र दत्त लखनपाल (39-बड़सर),** राजकीय महाविद्यालय, बड़सर में स्नातकोत्तर की कक्षायें जनहित में शीघ्रातिशीघ्र प्रारम्भ करने बारे विशेष उल्लेख करेंगे ।

(10) **श्री होशयार सिंह (10-देहरा),** Renewable Purchase Obligation के अन्तर्गत उद्योगों द्वारा सौर ऊर्जा के उपयोग हेतु विशेष उल्लेख करेंगे ।

(11) **श्री हीरा लाल (26-करसोग),** करसोग विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में भारी वर्षा से बिज़ली के खम्भों के गिरने तथा ट्रांसफार्मरों को हुई क्षति बारे विशेष उल्लेख करेंगे ।

(12) **श्री राकेश पठानिया (6-नूरपुर),** शिमला के माल रोड पर स्थित टाऊॅन हॉल (Town Hall) को पर्यटक आकर्षक केन्द्र में परिवर्तित करने बारे विशेष उल्लेख करेंगे ।

(13) **श्री हर्षवर्धन चौहान (59-शिलाई),** शिलाई निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत बालकोटी बीट में पेड़ों के हुए अवैध कटान बारे विशेष उल्लेख करेंगे ।

(14) **श्री इन्द्र दत्त लखनपाल (39-बड़सर),** जिला हमीरपुर के बड़सर में प्रस्तावित बस अड्डे का निर्माण जनहित में शीघ्रातिशीघ्र करने बारे विशेष उल्लेख करेंगे ।

(15) **डॉ0(कर्नल) धनी राम शांडिल(53-सोलन),** शिमला के लक्कड़ बाज़ार बस अड्डे के सुधार बारे विशेष उल्लेख करेंगे ।

9. नियम-63 के अन्तर्गत अल्पकालीन चर्चा:

श्री राकेश पठानिया
श्री होशयार सिंह } प्रस्ताव करेंगे कि:

"जिला कांगड़ा में उच्च न्यायालय की पीठ (Bench) स्थापित करने बारे यह सदन चर्चा करे।"

10. नियम-61 के अन्तर्गत आधे घण्टे की चर्चा:

(1) **श्री जगत सिंह नेगी**, "दिनांक 23 अगस्त, 2018 को उत्तरित तारांकित प्रश्न संख्या 554 के उत्तर से उत्पन्न विषयों पर चर्चा करेंगे ।

(2) **श्री नरेन्द्र ठाकुर**, "दिनांक 27 अगस्त, 2018 को उत्तरित तारांकित प्रश्न संख्या 658 के उत्तर से उत्पन्न विषयों पर चर्चा करेंगे ।

शिमला-171004 (यशपाल शर्मा),
दिनांक: 28-08-2018 सचिव ।

*****

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, की भी जांच कर लें)